भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2768

12 मार्च, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना

2768. **श्री राजा अमरेश्वर नाईक:**
श्रीमती जसकौर मीना:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्री निहाल चन्द चौहान:
श्री कृपानाथ मल्लाह:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
कुमारी शोभा कारान्दलाजे:
श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी:
डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:
डॉ. जयंत कुमार राय:
श्री भोला सिंह:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री निशीथ प्रामाणिक:
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):
श्री विनोद कुमार सोनकर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नई केन्द्र प्रायोजित योजना 'प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना' के कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है और सरकार ने इसे किस प्रकार लागू करने का प्रस्ताव दिया है;

(ख) उक्त योजना की प्रमुख विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मुख्य हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इसके लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है;

(घ) उक्त योजना के कार्यान्वयन से देश में स्वास्थ्य अवसरंचना को किस प्रकार बढ़ावा मिलेगा और इसकी शुरुआत में कितने राज्यों और जिलों को इसमें शामिल किए जाने की संभावना है;

(ङ) प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की क्षमता विकसित करने और मौजूदा राष्ट्रीय संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.5 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहें हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ङ): दिनांक 1 फरवरी, 2021 को वित्त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में छह वर्षों की अवधि (वित्त वर्ष 2025-26 तक) के लिए लगभग 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 'प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ

भारत योजना (पीएमएएसबीवाई) स्कीम की घोषणा की गई है। यह स्कीम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगी।

इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 तक पूरे किए जाने वाले मुख्य कार्यकलापों में शामिल हैं:

i. अत्यधिक फोकस वाले 10 राज्यों में 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों को सहायता।
ii. सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों की स्थापना करना।
iii. सभी जिलों में एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और अत्यधिक फोकस वाले 11 राज्यों में 3382 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाईयों की स्थापना करना।
iv. 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थाओं में गहन परिचर्या अस्पताल ब्लॉकों की स्थापना करना
v. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम केंद्र (एनसीडीसी), इसकी 5 प्रादेशिक शाखाओं तथा 20 मेट्रोपॉलिटन स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों का सुदृढ़ीकरण।
vi. सभी जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को जोड़ने के लिए सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार करना।
vii. प्रवेश बिंदुओं, जो कि 32 विमानपत्तन, 11 पत्तन तथा 17 भू-मार्ग हैं, पर 17 नई जन स्वास्थ्य इकाईयों का प्रचालन शुरू करना तथा 33 मौजूदा जन स्वास्थ्य कार्यों का सुदृढ़ीकरण करना।
viii. 15 स्वास्थ्य आपात प्रचालन केंद्रों तथा 2 चल-अस्पतालों की स्थापना करना तथा
ix. डब्ल्यूएचओ साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए एक प्रादेशिक अनुसंधान मंच, वन हेल्थ के लिए एक राष्ट्रीय संस्था, जैव सुरक्षा स्तर-III की 9 प्रयोगशालाओं तथा विरोलॉजी के 4 प्रादेशिक राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना करना।

इस योजना के तहत इन उपायों का फोकस सभी स्तरों नामत: प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक स्तर पर परिचर्या जारी रखने में स्वास्थ्य पद्धतियों तथा संस्थाओं की क्षमता का विकास करने तथा वर्तमान तथा भविष्य में स्वास्थ्य पद्धतियों को महामारियों/ आपदाओं का प्रभावी तौर से सामना करने के लिए तैयार करने पर है। पीएमएएसबीवाई का लक्ष्य जन स्वास्थ्य आपदाओं तथा रोग प्रकोपों की प्रभावी तौर पर पहचान करने, उसकी जांच, रोकथाम और उसका मुकाबला करने के लिए मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में, ब्लॉक, जिला, प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय स्तरों पर निगरानी प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क विकसित करके तथा प्रवेश बिंदुओं पर स्वास्थ्य इकाइयों का सुदृढ़ीकरण करके एक आईटी सक्षम रोग निगरानी प्रणाली विकसित करना है। निवेश में वृद्धि किए जाने का लक्ष्य भी कोविड-19 और अन्य संक्रामक रोगों पर अनुसंधान में सहायता करना है, जिसमें कोविड-19 जैसी महामारियों के लिए लघुकालिक तथा मध्यमकालिक प्रतिक्रिया की सूचना हेतु साक्ष्य सृजित करने के लिए जैव चिकित्सीय अनुसंधान तथा पशुओं तथा मनुष्यों में संक्रामक रोग प्रकोपों की रोकथाम, पहचान तथा प्रतिक्रिया के प्रति वन हेल्थ दृष्टिकोण बनाने के लिए प्रमुख क्षमता विकसित करना शामिल है।

(च): राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी), 2017 में जन स्वास्थ्य व्यय को एक समयबद्ध तरीके से वर्ष 2025 तक जीडीपी के मौजूदा 1.15 से बढ़ाकर 2.5% तक किए जाने की परिकल्पना है।

******